तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/7/22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रार्थना पत्र 7.1. सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5.8.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 12.8.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/8/22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रार्थना पत्र 7.1. मे वकील पक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित कृषि भूमियों ग्राम बाघोला की खसरा संख्या 416/1-02, 1242/0-12, 2275/399/0-15, 398/0-15 कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा तथा ग्राम बाघोला की ही भूमियों खसरा संख्या 1327/0-10, 1330/9-05, 1349/1-16 कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा भूमियों पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के [illegible] राजस्व मण्डल द्वारा [illegible] मैं अभिनिर्धारि[illegible] 1964 RRD पेज 88 [illegible] तथा एक सह अभिधारी किसी दूसरे सह अभिधारी के विरुद्ध आदेश प्राप्त नहीं कर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:31:31 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
	सकते है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। रिकार्डेड सह खातेदार होने से अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे नही होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे नही है। अतः प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड, बहस वकील पक्षकारान एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act अस्वीकार किया जाकर खारिज किया किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नियमित मूलवाद के साथ शामिल हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:31:31 IST
Reason: SelfAttested